राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV   जयपुर दिनांक 22 NOV 2016

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत विभागीय आदेश दिनांक 12.08.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 08.02.2016 के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के क्षेत्रफल के आधार पर पहुंच मार्ग निर्धारित किये गये है।

उक्त प्रावधान किये जाने का उद्देश्य यह है कि योजना विकसित होने पर भूखण्डधारियों को योजना तक आवागमन के लिये समुचित मार्गाधिकार उपलब्ध हो सके। सामान्यतः प्रस्तावित मार्गाधिकार के आधार पर योजनाओं का अनुमोदन नही होने पर योजनाओं के भूखण्डधारियों को योजना तक पहुँचने मे कठिनाई होती है और वे अपने भूखण्ड का उपयोग नहीं कर पाते है।

हाल ही मे यह अनुभव किया गया है कि अनेक योजनाओं में पूर्व कमिटमेन्ट (Commitment) के कारण पहुँच मार्ग किसी अनुमोदित योजना से प्राप्त होता है, जिनमें अन्दर की सडके 40 फीट चौडी उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे मे उस प्रश्नगत भूमि तक पहुंच मार्ग नियमानुसार 40 फीट का उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध मे विभिन्न नगर विकास न्यासों द्वारा पहुंच मार्ग की चौडाई 40 फीट से कम किये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी प्रकरण विशेष मे जहां किसी भी स्थिति मे (पहुंच मार्ग अनुमोदित योजनाओं मे से होने पर) 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध होना संभव नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नगरीय निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परन्तु ऐसी पहुँच मार्ग की चौडाई 30 फीट से कम नही होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

22/11/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम